कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पंत्राक 915/विकास कार्य/नि0सू0 /2026–27 दिनांक 29-06-2027

ई–निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में पंजीकृत हो, ऐसे फर्मो/ठेकेदारो से विकास कार्यो को करने हेतु ई–निविदा दिनांक 21.07.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत)सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे–आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तो के अनुसार अन्य अभिलेखो के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 22.07.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी0ओ0क्यू0/शर्ते बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0–9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेष संख्या 1197/II (2)/07–75(सामान्य)/II दिनांक 24–2–2014 एवं अन्य के अनुसार होगी । जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनु0 लागात (लाख)	धरोहर राषि (लाख रू0)	टेन्डर शुल्क	समय (माहो में)
1	मसूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चामासारी के तल्याडी गाड में पुलिया व अप्रोच का निर्माण कार्य।	21.17	63600.00	2360.00	03
2	मसूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बगधडा रोड़ में चन्दन सिंह के घर के निकट सड़क व सुरक्षा दीवार का कार्य।	24.49	73500.00	2360.00	03
3	मसूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भदराज मन्दिर को जाने वाली सड़क का निर्माण।	40.49	81000.00	3540.00	04
4	मसूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चामासारी के तल्याडी गाड के भैरव मन्दिर प्रांगण में टीनशैड व सुरक्षा दीवार का कार्य।	11.05	22900.00	1180.00	02
5	मसूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चामासारी में अमित रमौला के घर तक सड़क व सुरक्षा दीवार का निर्माण।	9.25	27800.00	1180.00	02
6	सिल्ला के भरत मन्दिर का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	49.15	98300.00	3540.00	04
7	बुरांशखण्डा में सडक एवं सुरक्षा दीवार का कार्य।	19.26	57800.00	1770.00	03
8	ग्राम पंचायत कार्लीगाड में सडक एवं सुरक्षा दीवार का कार्य।	19.67	59100.00	1770.00	03
9	ग्राम पचायत नालीकला में सडक एवं सुरक्षा दीवार का कार्य।	23.27	70000.00	2360.00	03
10	भट्टागांव में सामुदायिक भवन का निर्माण।	65.29	131000.00	4720.00	05
11	क्यारकुली में पूरन म्यूडा की दुकान से खाले तक भूमिगत नाली व सडक।	26.69	75000.00	2360.00	04
12	बांसागाड चौली से खदर तक सडक निर्माण कार्य।	24.42	733000.00	2360.00	04
13	मसूरी स्थित कुलडी रोड पर सुरक्षा दीवार लगाने का कार्य।	5.73	17200.00	1180.00	01
14	मसूरी कैम्प ऑफिस व एस0डी0एम0 कार्यालय में मरम्मत।	10.34	31100.00	1770.00	02
15	ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा तुनधार मेन रोड से प्रेम मन्यूडा के घर तक रोड निर्माण व चौडीकरण का कार्य।	42.13	84300.00	3540.00	04
16	मसूरी माल रोड स्थित थाना का फसाड/सौन्दर्यीकरण।	42.37	84800.00	3540.00	04
17	ग्राम सिल्ला के अर्न्तगत बूडमडा में सडक।	4.10	12300.00	590.00	01

Kumar

अन्य नियम एवं शर्ते

1. जिन ठेकेदारों/फर्मो को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
2. एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेगें। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यो में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नही किया जायेगा।
4. uktenders.gov.in ,एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यो में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
5. **निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–**

- निविदा वैधता के सम्बन्ध मे, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड़ हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवांटित कार्यो/निर्माणाधीन कार्यो अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवांटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा।

6. उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई–निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बेवसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना कार्य की प्रकृति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में लागू नियमो के अनुसार होगी।
10. शासनादेश संख्या–306433/2025XXVII(9)/02/अधिप्राप्ति/20204ई0प्रत्रा0संख्या 76643 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुपालन में निविदा में वही पंजीकृत ठेकेदार भाग लेगा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
11. जिन फर्मो/ठेकेदारो के पास पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव होगा वही निविदा में भाग लेगा।

सहायक अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव,/वित्त नियन्त्रक, म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।

2–नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।

3–नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।

4–आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5–प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

6–सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

सहायक अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।